5/1/26 पत्रावली पेश हुई। प्रा० पत्र 07 R11 CPC स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से जमा होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:02:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–28/25 तारीख रजु:–12.6.2025

उनवान

1. बहादुरसिंह आयु 48 साल
2. बलवीर सिंह आयु 51 साल
3. जगजीत सिंह आयु 54 साल

पुत्रान स्व. मानसिंह जाति राजपूत नि. भीकमपुरा तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र वीरेन्द्रसिंह उर्फ मुन्ना आयु 35 साल जाति राजपूत निवासी भीकमपुरा तहसील व जिला करौली
2. लाला आयु 45 साल पुत्रान केदारसिंह
3. पप्पन आयु 40 साल
4. मुन्ना सिंह आयु 60 साल
5. नरेन्द्रसिंह आयु 55 साल
6. शिवसिंह आयु 52 साल
7. करणसिंह आयु 90 साल
8. गोपाल सिंह आयु 70 साल

   सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम भीकमपुरा हाल वासी राजकीय अस्पताल के सामने गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
9. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती
में
आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:02:19 IST
Reason: SelfAttested

–::निर्णय::–

दिनांक:– 5/1/26

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा यह आवेदन इस आशय का पेश किया है कि वादीगण ने यह वादपत्र वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 1558 व 1587/1824 कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा ग्राम भीकमपुरा तहसील करौली का

घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्व फर्जी व कूटरचित तथा कथित इकरारनामा दिनांक 27.09.1988 के आधार पर पेश किया है। जिसके आधार पर वादीगण अप्रार्थी को भूमि में कोई खातेदारी अधिकारी कानूनन प्राप्त नहीं होते है। दावा न्यायालय हाजा के क्षेत्राकार का नहीं है और क्षेत्राधिकार के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत इसी स्तर पर खाजिर किये जाने योग्य है। कब्जा भूमि पर प्रतिवादी नंबर 1 का दिनांक 15.12. 1975 वक्त खरीद पितामह निहालसिंह पुत्र छोटू सिंह राजपूत निवासी भीकमपुरा के समय से है। वादीगण ने दावा में भीमसिंह पुत्र भौमसिंह को 10–12 वर्षों से लापता होना बताया है। कानूनन सिविल डेथ की घोषणा किये जाने का क्षेत्राधिकार भी राजस्व न्यायालय को नहीं है। यह क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय करौली को प्राप्त है। इस प्रकार वादीगण द्वारा चाही गई दादरसी व क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से दावा वादीगण क्षेत्राधिकार से बहार होने से खारिज किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी वादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र जिस प्रकार तहरीर किया गया है कतई गलत है स्वीकार नहीं है। वादी वाद प्रतिवादी नंबर 2 लगायत 8 खातेदारान के विरूद्व संस्थित किया गया है। जिनकी दावे में तलबी होकर जबावदावा आना बाकी समस्त पक्षकारान की तलबी व जबावदेई रिकॉर्ड पर आने के पश्चात प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी नंबर 1 का प्रार्थना–पत्र प्रीमैच्योर होने के कारण खारिज होने योग्य है। वादी का वाद धारा 63 आर टी एक्ट व 92 ए आर टी एक्ट के उपर आधारित है। धारा 63 (3) आर टी एक्ट के तहत यह प्रावधान वर्णित किया गया है कि जहां किसी खातेदार को अधिकार व कब्जे से वंचित कर दिया गया है और उसका कब्जा प्राप्त करने की म्याद समाप्त हो चुकी है। ऐसी अवस्था में टीनेन्ट के खातेदारी अधिकार समाप्त हो जावेगें। इस प्रकरण में भी वादी का विवादित भूमि पर कब्जा वर्ष 1977–78 से होने के कारण दावा दायरी से पूर्व लगभग 45–46 वर्ष का होने के कारण प्रतिवादी नंबर 2 ता 8 के वादी से कब्जा प्राप्त करने की म्याद 12 वर्ष निकलने के कारण व वादी से मुताबिक म्याद अधिनियम बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकते। उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। वादी को खातेदार अधिकार बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उदभूत होने के कारण दावा व टी आई चलने योग्य नहीं है। इस [illegible] वादी धारा 92 ए के तहत वादपत्र पेश कर घोषणात्मक [illegible] अधिकारी है। लापता होने का कथन दर्ज किया है। जिस बाबत कानून [illegible] व्यक्ति के बारे में विगत 7 वर्षों जिन्दा व मृत होने की ना सुनने पर उसके [illegible] होने की उपधारणा करने का प्रावधान है। जिसका वर्णत किया गया है। जिसकी कोई घोषणा न्यायालय हाजा से नहीं चाही गई है। अंत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 रूल 11 खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

खण्ड अधिकारी करौली (राज०)

बहस वकील उभयपक्ष प्रार्थना–पत्र पर सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:02:19 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थीयान ने जबाव प्रार्थना-पत्रों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वादीगण ने यह वादपत्र वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 1558 व 1587/1824 कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा ग्राम भीकमपुरा तहसील करौली का घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध फर्जी व कूटरचित तथा कथित इकरारनामा दिनांक 27.09.1988 के आधार पर पेश किया है। जिसके आधार पर वादीगण अप्रार्थी को भूमि में कोई खातेदारी अधिकारी कानूनन प्राप्त नहीं होते है। दावा न्यायालय हाजा के क्षेत्राकार का नहीं है और क्षेत्राधिकार के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत इसी स्तर पर खाजिर किये जाने योग्य है। कब्जा भूमि पर प्रतिवादी नंबर 1 का दिनांक 15.12.1975 वक्त खरीद पितामह निहालसिंह पुत्र छोटू सिंह राजपूत निवासी भीकमपुरा के समय से है। वादीगण ने दावा में भीमसिंह पुत्र भौमसिंह को 10-12 वर्षों से लापता होना बताया है। कानूनन सिविल डेथ की घोषणा किये जाने का क्षेत्राधिकार भी राजस्व न्यायालय को नहीं है। यह क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय करौली को प्राप्त है। इस प्रकार वादीगण द्वारा चाही गई दादरसी व क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से दावा वादीगण क्षेत्राधिकार से बहार होने से खारिज किये जाने योग्य है। अंत में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थीयान प्रतिवादीगण का बहस में कथन है कि वादी वाद प्रतिवादी नंबर 2 लगायत 8 खातेदारान के विरूद्ध संस्थित किया गया है। जिनकी दावे में तलबी होकर जबावदावा आना बाकी समस्त पक्षकारान की तलबी व जबावदेई रिकॉर्ड पर आने के पश्चात प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी नंबर 1 का प्रार्थना-पत्र प्रीमैच्योर होने के कारण खारिज होने योग्य है। वादी का वाद धारा 63 आर टी एक्ट व 92 ए आर टी एक्ट के उपर आधारित है। धारा 63 (3) आर टी एक्ट के तहत यह प्रावधान वर्णित किया गया है कि जहां किसी खातेदार को अधिकार व कब्जे से [illegible] कर दिया गया है और उसका कब्जा प्राप्त करने की म्याद [illegible] ऐसी अवस्था में टीनेन्ट के खातेदारी अधिकार समाप्त हो जावेगें। इस प्रकरण में भी वादी का विवादित भूमि पर कब्जा वर्ष 1977-78 से होने के कारण दावा दायरी से पूर्व लगभग 45-46 वर्ष का होने के कारण प्रतिवादी नंबर 2 ता 8 के वादी से कब्जा प्राप्त करने की म्याद 12 वर्ष निकलने के कारण व वादी से मुताबिक म्याद अधिनियम बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकते। उनके

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:02:19 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। वादी को खातेदार अधिकार बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उदभूत होने के कारण दावा व टी आई चलने योग्य नहीं है। इसके लिए वादी धारा 92 ए के तहत वादपत्र पेश कर घोषणात्मक निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। लापता होने का कथन दर्ज किया है। जिस बाबत कानून में किसी व्यक्ति के बारे में विगत 7 वर्षों जिन्दा व मृत होने की ना सुनने पर उसके मृत होने की उपधारणा करने का प्रावधान है। जिसका वर्णत किया गया है। जिसकी कोई घोषणा न्यायालय हाजा से नहीं चाही गई है। अंत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 रूल 11 खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी वादी द्वारा यह वाद इकरारनामा दिनांक 27.09.88 के आधार पर घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। जिसमें वादी ने वादग्रस्त आराजी की खातेदारी वादी के नाम घोषित करने एवं प्रतिवादीगण को भूमि के कब्जेकाश्त में व्यवधान नहीं करने की दादरसी चाही है। वादी का वाद मात्र इकरारनामा दिनांक 27.09.88 पर आधारित है। जो अनरजिस्टर्ड है। विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि इकरारनामे के आधार पर राजस्व न्यायालय को घोषणा का वाद धारा 207 आर टी एक्ट के तहत सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा आरआरडी 1992 पेज 414 एवं आरआरडी 1984 पेज 230 एवं आरआरडी 1984 पेज 227 पेश किये है। जिनमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि अनरजिस्टर्ड इकरारनामे के आधार पर धारा 88, 188 का वाद न्यायलय हाजा राजस्व न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है बल्कि यह अधिकार धारा 207 आर टी एक्ट के तहत केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस प्रकार दावा वादी क्षेत्राधिकार के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 207 आर टी एक्ट के तहत इसी स्तर पर चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान प्रतिवादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान/प्रतिवादीगण आदेश 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। दावा वादीगण क्षेत्राधिकार के अभाव में आदेश 7 रूल 11 सीपीसी व धारा 207 आर टी एक्ट के तहत खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5/1/26 को खुले न्यायालय में ... जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:02:19 IST
Reason: SelfAttested